पंजीयन कमांक भोपाल/मुख्यालय/168 दिनांक– 13/5/80

एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 भोपाल

उपविधियाँ

नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र

1. इस संस्था का नाम "एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 भोपाल" होगा। अंग्रेजी में यह नाम "M . P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. Bhopal" होगा। इसे संक्षिप्त में "एम.पी.सी.डी.एफ." कहा जावेगा। अंग्रेजी में यह संक्षिप्त नाम " M.P.C.D.F." कहा जावेगा।

1.2 "एम.पी.सी.डी.एफ" का पंजीकृत पता, दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल 462024 होगा।

टीपः—पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन 30 दिनों में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, मध्य प्रदेश भोपाल को सूचित किया जाएगा। साथ ही कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में अवश्य ही प्रकाशित किया जाएगा।

1.3 एम.पी.सी.डी.एफ. का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन उपरांत अस्तित्व में आया संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

2.0 परिभाषायें

2.1 "एम.पी.सी.डी.एफ." से तात्पर्य "एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 भोपाल" से होगा।

2.2 "संचालक मंडल" से अभिप्रेत है इन उपविधियों के अन्तर्गत गठित अथवा निर्वाचित सदस्यों का प्रबन्धन बोर्ड, जिसे एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यकलापों के प्रबन्ध का संचालन और नियन्त्रण सौंपा गया हो।

2.3 "अध्यक्ष" से तात्पर्य एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष से होगा।

2.4 "प्रबंध संचालक" से तात्पर्य है म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(ड) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुए संचालक मंडल द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यकलापों का कार्य सौंपा गया है।

2.5 "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (कमांक 17 सन् 1961) एवं बाद में हुये संशोधनों से होगा।

2.6 "नियम" से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बने मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं बाद में हुये संशोधनों से होगा।

2.7 "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क 17 सन् 1961) की धारा 03 के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार। इसमें ऐसे अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है। जिन्हें उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसरण में सहकारी सोसायटियों से संबंधित रजिस्ट्रार के अधिकार प्रदत्त किए गये हों।

2.8 "दुग्ध उत्पाद" (डेरी प्रोडक्ट) से तात्पर्य दूध तथा दूध के कोई भी सह उत्पादनों (एलाईड मिल्क प्रोडक्ट) से होगा ।

2.9 "वस्तुओं" से तात्पर्य दूध पदार्थ, पशु आहार, कच्चा या प्रकिया किया हुआ कृषि उत्पादन, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों तथा उनके वेस्ट (waste) प्रोडक्टस, को सुरक्षित रखने के आवरण अथवा उपकरण सामग्री, औजार एवं संयंत्र से होगा।

2.10 "साधारण सभा" में विशेष साधारण सभा भी सम्मिलित होगी ।

2.11 "डेरी बोर्ड" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द से होगा ।

2.12 "दुग्ध संघ" से तात्पर्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित से होगा ।

2.13 इन उपविधिगों में जिन शब्दों एवं पदावली की परिभाषा नही दी गई है किन्तु यदि अधिनियम एवं नियम में उसकी परिभाषायें दी गई हैं तो उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम एवं नियम में दिया गया है ।

2.14 "प्रतिनिधि" से तात्पर्य है एम.पी.सी.डी.एफ. का कोई ऐसा सदस्य जो एम.पी.सी.डी. एफ. का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करें ।

2.15 "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप–सभापति का पद ।

2.16 "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 57–ग की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।

3.0 <u>उद्देश्य</u>

3.1 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा कृषकों एवं पशुपालकों के आर्थिक विकास के लिये दूध और दूध से बने पदार्थों के प्रभावी उत्पादन, संकलन, प्रक्रियण निर्माण, वितरण तथा विपणन के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का संवहन करना। दुग्ध व्यवसाय, दुधारू पशुओं के विकास एवं संरक्षण तथा दुग्ध उत्पादन में लगे समुदायों के आर्थिक विकास के लिये तथा इस हेतु जरूरी एवं सहयोगी गतिविधियों के विस्तार एवं विकास के लिये कार्य करना ।

3.2 उपरोक्त वर्णित उददेश्यों की प्राप्ती हेतु एम.पी.सी.डी.एफ. समस्त आवश्यक कार्य करेगा तथा विशेष रूप से निम्न कार्य करेगा :–

3.2.1 व्यवसाय को चलाने के लिये भवन, संयंत्र तथा अन्य सहायक उपकरण खरीदना और/अथवा निर्माण करना ।

3.2.2 दुग्ध पदार्थों और सहयोगी उत्पादनों के संकलन और विपणन से संबंधित परस्पर हितों की समस्याओं का अध्ययन करना ।

3.2.3 सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना सदस्यों, दुग्ध संघों अथवा अन्य स्त्रोतों से "वस्तुयें" खरीदना, उनका एकत्रण (पूल) प्रक्रियण, निर्माण, वितरण एवं विपणन करना, संतुलित पशु आहार के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था करना और इस उददेश्य के लिये अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी भी जिले में दुग्ध संकलन केन्द्र, दुग्ध शीतकरण केन्द्र, दुग्ध प्रक्रिया संयंत्र, दुग्ध एवं अन्य सहयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कारखाना, पशु आहार प्रक्रियण संयंत्र गोदाम आदि का निर्माण करना।

3.2.4 अनुसंधान तथा खोज कार्य करने वाली तथा गुणवत्ता नियंत्रित करने वाली संस्थाओं की स्थापना करना ।

3.2.5 पशु चिकित्सा सहायता तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवायें उपलब्ध करना, पशु स्वास्थ्य एवं विकास सेवाओं तथा पशुओं के रोग नियंत्रक सेवाओं में वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पशु विकास गतिविधियां संचालित करना ।

3.2.6 दूध, दूध से निर्मित अन्य सभी प्रकार के सह उत्पादों तथा वस्तुओं के यातायात की आवश्यक एवं प्रभावी व्यवस्था करना ।

3.2.7 प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा अंकेक्षण कार्यो के सभी पहलुओं में सदस्य दुग्ध संघ को सलाह, मार्गदर्शन, सहायता तथा नियंत्रण सुलभ कराना तथा इस हेतु फीस निर्धारित कर वसूल करना ।

3.2.8 आवश्यकतानुसार कच्चा माल, उसके प्रक्रियण अथवा तैयार किये गये माल के आवरण संबंधी सामान आदि क्रय करना और/या क्रय करने में सहयोग देना अथवा उनका निर्माण करना अथवा किसी से सहयोग (कोलोबरेट) करना ।

3.2.9 सदस्य दुग्ध संघों और समितियों के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

3.2.10 संघ के व्यवसाय संपादन हेतु चल व अचल संपत्ति खरीदना या प्राप्त करना या लीज पर लेना या किराये पर लेना तथा जब वे संघ के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाये तो उनका निपटारा करना/बेचना ।

3.2.11 अपने उत्पादन को स्वंय के व्यापार चिन्ह/मार्का से या सदस्य संघों के व्यापार चिन्ह/मार्का से विपणन करना। सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना अन्य राज्य सहकारी महासंघ/फेडरेशन के ऐसे सभी उत्पादों का जिनका उत्पादन सदस्य दुग्ध संघों द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्रय/वितरण कर सीधे उनके/अपने या संयुक्त मार्का से विपणन की व्यवस्था करना ।

3.2.12 प्राथमिक समितियों के गठन के कार्य को बढ़ाना तथा प्राथमिक समितियों के संगठन में सदस्यों की सहायता करना तथा विकास करना । सदस्यों के अनुरोध पर अथवा पंजीयक द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने पर उनका पूर्ण या आंशिक प्रशासन या प्रबंध करना ।

3.2.13 एम.पी.सी.डी.एफ. और सदस्य दुग्ध संघों के संकलन एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिये तथा उसकी प्रभावी विक्री के लिये विकासात्मक नीतियां और कार्यान्वयन में सहायता देना ।

3.2.14 सदस्य दुग्ध संघों को प्रबंध, तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा आवश्यकता होने की स्थिति में किसी के साथ सहयोग/अनुबंध करना ।

3.2.15 सदस्य दुग्ध संघों को मूल्य निर्धारण, जन संपर्क एवं अन्य विषयों पर सलाह देना।

3.2.16 कर्मचारियों के कल्याण एवं सहायतार्थ न्यास (trust) बनाना तथा निधियां निर्माण करना।

3.2.17 सदस्य दुग्ध संघों और उनसे संबद्ध समितियों का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना, अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत इनके सांविधिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना ।

3.2.18 सभी प्रकार के शोध तथा विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना, चलाना और/अथवा प्रत्यक्ष रूप से अथवा मान्य संस्थानों के माध्यम से सहयोग देना ।

3.2.19 स्वतंत्र अस्तित्व वाली शोध तथा विकास संस्थानों की स्थापना करना और उनकी निधियों में योगदान देना और उसके लिये सदस्यों तथा अन्य से धनराशि एकत्र करना।

3.2.20 बचत योजनाओं को संगठित एवं प्रोत्साहित करना तथा सहकारिता आन्दोलन के सिद्धांतों एवं लाभों को प्रसारित करना ।

3.2.21 सदस्य दुग्ध संघों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये एक रूप सेवा संवर्ग बनाना तथा उसका संचालन करना ।

3.2.22 म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 के प्रावधान अनुसार।

3.2.23 सदस्य दुग्ध संघों तथा उनसे संबद्ध समितियों के सदस्यों के द्वारा पशुओं के लिये चरी चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

3.2.24 क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रमों को चलाने के लिये आवश्यकतानुसार पशुओं को प्राप्त करना तथा समुचित पालन पोषण करना ।

3.2.25 सदस्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशु क्रय करने में सहायता करना ।

3.2.26 अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समान उद्देश्य के किसी भी संस्थान अथवा सहकारी संस्था को पूर्ण रूप से (उसकी संपूर्ण संपत्ति एवं दायित्वों सहित) क्रय करना, अधिग्रहण करना, स्वामित्व ग्रहण करना अथवा उसके अंश खरीदना ।

4.0 पूंजी और निधियॉं

संघ की निधियां निम्न प्रकार से एकत्र की जावेंगी ।

4.1 अंश राशि

4.2 ऋण–पत्र

4.3 निक्षेप (डिपाजिट)

4.4 ऋण

4.5 अनुदान (ग्रान्ट) सहायता (सबसिडी)

4.6 दान (उपहार और भेंट)

4.7 अर्जित लाभ में से कोष निर्माण कर

4.8 प्रवेश शुल्क

4.9 एम.पी.सी.डी.एफ. की अधिकृत अंशपूंजी 10 करोड रूपये होगी जो कि 10 हजार रूपये के 10 हजार अंशों में विभाजित या विभक्त होगी ।

4.9.1 संचालक मंडल द्वारा समय–समय पर सदस्य दुग्ध संघों को अंशों का आवंटन किया जावेगा तथा उसकी राशि दुग्ध संघों द्वारा निर्धारित अवधि में जमा करायी जायगी ।

4.10 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा ऋण–पत्र, निक्षेप (अमानत) एवं ऋण के रूप में प्राप्त राशि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि एवं अन्य निधियों के योग में से संकलित हानि कम करने के पश्चात शेष राशि के दस गुणे से अधिक नहीं होगी ।

5.0 सदस्यता

5.1 एम.पी.सी.डी.एफ. की सदस्यता निम्नानुसार होगी:

5.1.1 भारत शासन/राज्य शासन/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड/प्रादेशिक शीर्ष संघों का राष्ट्रीय संघ ।

5.1.2 साधारण

5.1.3 नाममात्र

5.1.4 एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त पंजीकृत दुग्ध संघ साधारण सदस्यता प्राप्त करने के पात्र होगें ।

5.1.5 एम.पी.सी.डी.एफ. से व्यवसाय करने वाला कोई भी संस्थान या व्यक्ति जो उपविधि कमांक 5.1.1 एवं 5.1.2 की श्रेणी में नहीं आता हो, **नाममात्र सदस्य** बन सकेगा। नाममात्र की सदस्यता चाहने वाले को एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा निर्धारित फार्म में लिखित में आवेदन पत्र, आवेदन पत्र शुल्क रूपये 10/– तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 100/–जमा करना होगा। नाममात्र के सदस्यों को एम.पी.सी.डी.एफ. में प्रबंध, मताधिकार तथा लाभ में किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं होगी।

5.1.6 वे दुग्ध संघ जिन्होंने उपविधियां एवं पंजीकरण के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, साधारण सदस्य के रूप में दर्ज किये जायेगें।

5.1.7 प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के लिये लिखित में आवेदन करना होगा तथा नाम दर्ज किये जाने के समय आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क रूपये 25/– तथा क्रय किये जाने वाले अंशों की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी।

5.2 प्रारंभ में प्रत्येक सदस्य दुग्ध संघ अंशपूंजी के रूप में रू. 20,000/– के अंश क्रय करेगा।

5.2.1 समय–समय पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार एम.पी.सी.डी.एफ. अपने साधारण सदस्यों को उनके द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के अंश क्रय करने हेतु अनुरोध/निर्देशित कर सकेगा।

5.2.2 यदि देय तिथि से किसी भी अंश और/अथवा ऋण–पत्र की राशि छः माह तक अदेय रहती है तो संचालक मंडल ऐसे सदस्य के विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा।

6.0 किसी भी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के दर्शनी मूल्य तक सीमित रहेगा।

7.0 उपविधि कमांक 5.1.1 एवं 5.1.2 के अन्तर्गत एम.पी.सी.डी.एफ. के सदस्यों को छोड़कर कोई अन्य सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. के अंशों में रूपये 5000/– अथवा कुल अंशपूंजी के 1/5 वे भाग से अधिक (इनमें से जो भी कम हो) के अंश अथवा कोई अधिकार अथवा कोई हित धारित नही कर सकेगा।

8.0 जब भी किसी सदस्य द्वारा अंश राशि जमा कर दी जावेगी, उसका अंश प्रमाण–पत्र निर्गमित किया जावेगा।

8.1 सदस्य द्वारा अंश प्रमाण–पत्र गुम हो जाने की स्थिति में संचालक मंडल के लिखित अनुमोदन से तथा निर्धारित फीस के भुगतान करने पर सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अंश प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रतिलिपि निर्गमित की जावेगी।

9.0 एम.पी.सी.डी.एफ. की संपत्तियां और निधियां अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ही नियोजित की जावेगी।

10.0 कोई भी सदस्य दुग्ध संघ एक बार एम.पी.सी.डी.एफ. से संबद्ध होने के बाद जब तक कि उसका परिसमापन न हो जावे, पंजीयक की अनुज्ञा के बिना असंबद्ध नहीं हो सकेगा ।

11.0 अधिनियम की धारा 19(सी) के होते हुये भी संचालक मंडल इस हेतु बुलाई गई बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी भी सदस्य को निम्न कारणों में से किसी भी कारण से निकाल सकेगा ।

11.1 यदि वह सतत त्रुटिकर्ता हो और एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आदतन अवहेलना करता हो ।

11.2 यदि वह झूठे कथनों द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. को जानबूझ कर धोखा देता हो ।

11.3 यदि वह एम.पी.सी.डी.एफ. की साख को क्षति पहूंचाने वाले कार्य को जानबूझ कर करता हो या उसे बदनाम करता हो ।

11.4 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय से संघर्ष उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने की संभावना वाले किसी व्यवसाय को करता हो ।

11.5 दुग्ध संघ अपनी देय राशियों जिनमें एम.पी.सी.डी.एफ. को देय राशियों की अदायगी ऋण, ब्याज एवं प्रशासनिक व्यय सम्मिलित हों, की निरंतर त्रुटि के लिए 12 मास से अधिक अवधि के लिए व्यतिकमी रहता हो अथवा उपविधियों के किसी अन्य प्रावधान के पालन में त्रुटि करता हो ।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई भी ठहराव वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को प्रत्यक्ष रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा उसे निष्कासित किये जाने के प्रस्ताव की 15 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो और उस संबंध में संचालक मंडल के समक्ष उसे सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

11.6 निष्कासन किये जाने पर सदस्य द्वारा धारित सभी अंशों को जप्त (forfeit) भी किया जा सकेगा ।

12.0 किसी भी सदस्य द्वारा कम से कम एक वर्ष तक अंश धारण करने के बाद एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मंडल की अनुमति से अन्य किसी सदस्य को अंशों का हस्तांतरण किया जा सकेगा । कोई भी अंश हस्तांतरण तब तक पूरा नहीं माना जावेगा जब तक कि हस्तांतरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा नही किया गया हो और जिसके पक्ष में हस्तांतरण हुआ है उसका नाम अंश हस्तांतरण पंजी में प्रविष्ठ नहीं कर लिया जाता है ।

13.0 प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक अंश धारण करना होगा ।

14.0 **किसी भी साधारण सदस्य की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त हो सकेगी:**

14.1 त्यागपत्र देने पर ।

14.2 पंजीयन निरस्त होने पर ।

14.3 निष्कासन किये जाने पर ।

14.4 उपविधि कमांक 15 में दर्शाये दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होने पर ।

14.5 संचालक मण्डल के द्वारा निर्धारित अंश अथवा ऋणपत्र खरीदने में असफल होने पर ।

14.6 कोई भी साधारण सदस्य, जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है, उसके द्वारा भुगतान की गई अंश राशि की वास्तविक सीमा तक, सदस्यता समाप्ति के एक वर्ष के बाद पाने का अधिकार होगा ।

15.0 <u>सदस्य का दायित्व</u>

प्रत्येक साधारण सदस्य

15.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार संकलन की योजना बनायेगा ।

15.2 एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार अपने सभी दूध तथा दूध के सह उत्पादनों का प्रकियण, निर्माण एवं विपणन करेगा ।

15.3 निम्न प्रकार की सभी गतिविधियों में एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा बनाये गये कार्यकमों एवं योजनाओं का पालन करेगा:—

15.3.1 संकलन ।

15.3.2 विभिन्न व्यापारी चिन्ह/मार्का के अन्तर्गत उत्पादन एवं निर्माण ।

15.3.3 समितियों का गठन ।

15.3.4 तकनीकी सेवा/सुविधा (Input) कार्यकम ।

15.3.5 प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय पहलू ।

15.3.6 मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता के स्तर और

15.3.7 कच्चा माल और आवरण (पेकेजिंग) सामान का संकलन ।

15.3.8 उपर वर्णित किये गये और अन्य संबंधित दायित्वों के पालन में किसी सदस्य के असफल होने पर, परिणामस्वरूप एम.पी.सी.डी.एफ. को होने वाली हानियों के लिए उस सदस्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा ।

16.0 **संगठन एवं प्रबंध**

16.1 साधारण सभा

16.2 संचालक मण्डल

16.3 प्रबंध संचालक

17.0 साधारण सभा

17.1 अधिनियम नियम एवं उपविधियों के अंतर्गत साधारण सभा में एम.पी.सी.डी.एफ. की सर्वोच्च प्रभुता वेष्ठित होगी ।

17.2 साधारण सभा में निम्नानुसार सदस्य होगें ।

17.2.1 प्रत्येक संबद्ध दुग्ध संघ के निर्वाचित एम.पी.सी.डी.एफ प्रतिनिधि एवं ऐसे दुग्ध संघ जिनमें नामांकित संचालक मण्डल/कामकाज समिति कार्यरत हों, के नामांकित अध्यक्ष ।

17.2.1.1 संचालक मण्डल के सभी नामांकित सदस्य ।

17.3 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जाएगी ।

17.4 एम.पी.सी.डी.एफ. का संचालक मण्डल किसी भी समय आवश्यक कार्य के लिये विशेष साधारण सभा की बैठक बुला सकेगा, लेकिन निम्न परिस्थितियों में विशेष साधारण सभा की बैठक एक माह में अवश्य बुलाई जावेगी ।

17.4.1 संचालक मंडल के बहुमत द्वारा मांग किये जाने पर या

17.4.2 कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर या

17.4.3 पंजीयक से लिखित निर्देश प्राप्त होने पर ।

17.5 पंजीयन के पश्चात सदस्यों की प्रथम बैठक (सभा) को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि वार्षिक साधारण सभा को दी गई हैं ।

18.0 साधारण सभा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्न कार्यो पर विचार करेगी:–

18.1 गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना ।

18.2 संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत बजट तथा वार्षिक कार्य योजना पर विचार ।

18.3 31 मार्च अंत के तलपट के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और पिछले वित्तीय वर्ष का लाभ–हानि पत्रक प्राप्त करना, वार्षिक पत्रकों पर विचार करना, आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करना तथा शुद्ध लाभ के व्ययन (Disposal) पर विचार करना।

18.4 संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना।

18.5 जब और जैसी आवश्यकता हो, उपविधियों में परिवर्धन, परिवर्तन एवं निरसन करना।

18.5.1 संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन यदि वह कराया जाना अपेक्षित हो गया हो। स्पष्टीकरण–संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित हो गया समझा जाएगा यदि संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो गई हो।

18.5.2 वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुए घाटे के कारणों का परीक्षण करना।

18.5.3 लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पेनल में से संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।

18.6 अध्यक्ष की पूर्व अनुमति उपविधियों के अनुसार लाये गए किसी अन्य विषय पर विचार करना।

18.7 एमपीसीडीएफ की वार्षिक साधारण सभा संचालक मण्डल द्वारा कम–से–कम चौदह दिन की सूचना प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा देकर बुलाई जाएगी, जिसमें दिनांक, स्थान, समय तथा एजेण्डा दिया। जाएगा ऐसी सूचना संघ के सूचना–पटल पर भी लगाई जाएगी तथा अधिकतम दो स्थानीय समाचार–पत्र (अखबार) में प्रकाशित की जाएगी।

18.7.1 साधारण सभा के किसी सदस्य को ऐसा सूचना–पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी ।

18.8 निम्न स्थितियों में पूर्व सूचना–पत्र की आवश्यकता नही होगी ।

18.8.1 विषय–सूची के कार्यो के क्रम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव (मोशन)

18.8.2 बैठक के विघटन अथवा स्थगन हेतु प्रस्ताव ।

18.8.3 विषय–सूची को अगली बैठक में पारित करने के संबंध में प्रस्ताव ।

18.8.4 विचाराधीन विषय को संचालक मण्डल को विचार विमर्श करने अथवा प्रतिवेदन देने के लिये भेजने हेतु प्रस्ताव ।

18.8.5 उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव । परन्तु किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने एवं उपविधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव बिना पूर्व सूचना के प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

19.0 <u>मताधिकार</u>

19.1 प्रत्येक सदस्य को उसकी साधारण सदस्यता के आधार पर एक मत का अधिकार होगा, प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) की अनुमति नहीं होगी ।

20.0 एम.पी.सी.डी.एफ. की विशेष साधारण सभा 14 दिन के नोटिस के साथ बुलाई जावेगी जिसमें बैठक के दिनांक, समय तथा स्थान के साथ-साथ बैठक को आयोजित करने के उद्देश्यों को बताया जावेगा ।

20.1 साधारण सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति उस बैठक की गणपूर्ति होगी ।

20.2 विशेष साधारण सभा ऐसे समस्त कार्य कर सकेगी जो कि सामान्य रूप से वार्षिक साधारण सभा द्वारा किया जाता हो ।

20.3 यदि किसी साधारण सभा में निर्धारित समय के 30 मिनिट के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो साधारण सभा, सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी। ऐसे दिनांक एवं समय से, उपस्थित सदस्यों को सूचित किया जावेगा। इस प्रकार स्थगित की गई सभा में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु पूर्व में जारी किये गये सूचना-पत्र में दर्शित विषयों के अलावा अन्य किसी विषय पर विचार नही किया जा सकेगा।

21.0 सभा में बहुमत से निर्णय लिये जावेगें, समान मतों की स्थिति में अध्यक्ष को अपने उन मतों के अतिरिक्त जिनकी उसे एक सदस्य के रूप में पात्रता है, एक निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा ।

22.0 <u>संचालक मण्डल</u>

22.1 संचालक मण्डल में निम्नानुसार संचालक होंगे:-

22.1.1 "एमपीसीडीएफ" से संबंद्ध प्रत्येक दुग्ध संघ से 01 संचालक।

22.1.1.1 ऐसे दुग्ध संघ जिनमें नामांकित संचालक मण्डल/कामकाज समिति कार्यरत हैं, के नामांकित अध्यक्ष ।

22.1.1.2 इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालक मण्डल में सदस्यों की कुल संख्या, अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकार के नाम निर्देशितियों और पदेन सदस्यों को छोड़कर 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी :

परन्तु अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकार के ऐसे नाम निर्देशितियों तथा पदेन सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा या संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए वे पात्र नहीं होंगे।

22.1.1.3 यदि संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि के आधे से कम है तो सदस्यों के उसी वर्ग से जिसके कि संबंध में आकस्मिक रिक्ति उद्भूत हुई है, संचालक मण्डल नामनिर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगा।

22.1.1.4 एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रबन्धन में सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी तथा बैठक में उपस्थित होने की न्यूनतम आवश्यकता तथा सेवाओं का न्यूनतम स्तर जिनका कि सदस्यों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव/संकल्प पारित कर निर्णय लिया जाएगा।

पदेन संचालक:

22.1.2 राज्य शासन (पशुपालन विभाग) के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामांकित अपर सचिव ।

22.1.3 विलोपित ।

22.1.4 रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां मध्य प्रदेश अथवा उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर से निम्न न हो।

22.1.5 भारत शासन, संयुक्त सचिव (डेयरी विभाग) अथवा संचालक (डेयरी विभाग) ।

22.1.6 आयुक्त/संचालक/अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश शासन ।

22.1.7 राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल का प्रतिनिधि ।

22.1.8 म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधि ।

22.1.9 विलोपित ।

22.1.10 एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक एवं पदेन सचिव ।

22.2 एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष होंगे।

22.2.1 विलोपित ।

22.2.2 विलोपित ।

22.2.3 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा।

22.2.4 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मानसेवी होंगे।
नोटः–एम.पी.सी.डी.एफ. में शासकीय पूंजी निवेश के मान से शासन द्वारा धारा 52 के अंतर्गत शासकीय संचालकों का आवश्यकतानुसार नामांकन किया जायेगा ।

22.2.3.1 इन उपविधियों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालक मण्डल में सदस्यों की कुल संख्या, अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकार के नामनिर्देशितियों और पदेन सदस्यों को छोड़कर 15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगीः परन्तु अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकार के ऐसे नामनिर्देशितियों तथा पदेन सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत से किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा या संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए वे पात्र नहीं होंगे।

22.2.3.2 दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन एवं विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम दो व्यक्ति संचालक मण्डल में सहयोजित किये जाएंगे। इस उपविधि के अंतर्गत सहयोजित सदस्य 15 (पन्द्रह) संचालकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होंगे। सहयोजित सदस्यों को उनकी ऐसे सदस्य की हैसियत में किसी निर्वाचन में मत देने का अथवा संचालक मण्डल में पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा।

22.2.3.3 यदि संचालक मण्डल की अवधि उसकी मूल अवधि के आधे से कम है तो सदस्यों के उसी वर्ग से जिसके कि संबंध में आकस्मिक रिक्ति उद्‌भूत हुई है, संचालक मण्डल नामनिर्देशन द्वारा आकस्मिक रिक्ति भर सकेगा।

22.2.3.4 एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रबंधनमें सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी तथा बैठक में उपस्थित होने की न्यूनतम आवश्यकता तथा सेवाओं का न्यूनतम स्तर जिनका कि सदस्यों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा, के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव/संकल्प पारित कर निर्णय लिया जाएगा।

22.2.5 अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की जावेगी।

22.2.6 उपविधि क्रमांक 19 में निर्धारित किये अनुसार संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को मताधिकार होगा। एम.पी.सी.डी.एफ. की वार्षिक साधारण सभा के पश्चात ही नया संचालक मंडल इन मताधिकारों का प्रयोग कर सकेगा ।

22.2.7 कोई भी व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उप सभापति के रूप में निर्वाचन होने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है या जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में कोई पद धारण करता है ।

22.2.8 कोई भी व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा और वह उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा यदि वह एम.पी.सी.डी.एफ. में कोई विनिर्दिष्ट निर्वाचित पद दो लगातार कार्यकालों तक या दस वर्षो की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो, धारण कर चुका हो।

परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो ।

परन्तु इस प्रावधान के प्रयोजन के लिये यदि इसमें उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को किसी कार्यकाल के दौरान किसी भी समय त्याग देता है या ऐसे पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यथास्थिति उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाने पर या पद ग्रहण कर लेने पर उस संबंध मे यह समझा जाएगा कि उसने अपनी पदावधि पूर्ण कर ली है।

23.0 संचालक मण्डल तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको संचालक मण्डल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, 5 वर्ष होगा। परन्तु जहां संचालक मण्डल को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है या अधिनियम के अनुसरण में हटाया गया है किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप पुनः स्थापित हो जाता है वहां वह कालावधि, जिसके दौरान वह संचालक मण्डल यथास्थिति अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नहीं रहा है, पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में, अपवर्जित कर दी जाएगी।

24.0 किसी भी सदस्य को ऐसे किसी विषय की कार्यवाही में भाग लेने अथवा मत देने नहीं दिया जावेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत अथवा अन्य कोई हित है ।

25.0 संचालक मंडल द्वारा अथवा संचालक मंडल के एक सदस्य के रूप में कार्य करते हुये किसी व्यक्ति के सभी कार्य इसके बावजूद भी वैध होगें, यदि बाद में यह पता चले कि ऐसे मंडल अथवा व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी तथा उसके कार्य वैसे ही वैध माने जावेगें जैसा मंडल अथवा वह व्यक्ति समुचित रूप से नियुक्त हुआ हो ।

26.0 संचालक मंडल की बैठक जितनी आवश्यकता हो, उतनी बार बुलाई जा सकेगी किन्तु प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य बुलाई जावेगी ।

26.1 संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी ।

26.2 संचालक मंडल की सदस्यता एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के लिये योग्यताएं और अयोग्यताएं:–

कोई व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, और अपना पद धारण करने से प्रवरित हो जायेगा यदि वह ऐसी निरर्हता से जैसी कि विहित की जाए, ग्रस्त हो और एम.पी.सी.डी.एफ. किसी अन्य संस्था के संचालक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य संस्था में एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करेगी। यदि वह ऐसी निरर्हता से जैसी कि विहित की जाए, ग्रस्त हो :–

परन्तु यदि कोई भी सदस्य इस धारा के अधीन विहित किसी निरर्हता से ग्रस्त है तो :–

(एक) एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे सदस्य को, जबकि वह एम.पी.सी.डी.एफ. का सदस्य रहते हुए संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है, एम.पी.सी.डी.एफ. की जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद धारण करने से निरर्हित करें:

(दो) यदि कोई सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. में प्रतिनिधि के रूप में उसके कार्य करने के कारण निरर्हित हो जाता है तो एम.पी.सी.डी.एफ. उसे एम.पी.सी.डी.एफ. में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने की कार्यवाही करेगी, और यदि एम.पी.सी.डी.एफ.कार्यवाही करने में असफल रहती है, रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा ।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "निरर्हता" के अंतर्गत किसी सोसायटी संचालक मण्डल के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए धारा 50–ए में विनिर्दिष्ट निरर्हता सम्मिलित नहीं होगी ।

(अ) कोई भी सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में (निर्वाचन, सहयोजत या नामनिर्देशन) की सदस्यता के लिये तथा एम.पी.सी.डी.एफ. का अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के लिये योग्य नहीं होगा तथा यदि वह संचालक या प्रतिनिधि निर्वाचित हो गया हो तो उस पद या पदों पर अयोग्य माना जावेगा यदि वहः—

(1) दिवालिया घोषित किये जाने के लिये आवेदक है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है अथवा ।

(2) वह किसी ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित न हो, को छोड़कर, किसी अपराध के लिये दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसा दंडादेश समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि व्यतीत न हुई हो ।

(3) पागल हो अथवा हो जावे अथवा

(4) एम.पी.सी.डी.एफ. में किसी लाभ के पद पर हो अथवा लाभ का पद स्वीकार कर लें अथवा

(5) इस प्रकार का व्यवसाय करता हो जो एम.पी.सी.डी.एफ. करता हो अथवा

(6) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(बी) जिसमें संस्था को पहुँचाई गई हानि की वसूली हेतु उत्तरदायी ठहराया गया हो, के अधीन अधिभारित किया गया हो अथवा इसी अधिनियम की धारा 19–सी के अधीन निष्कासित किया हो अथवा

(7) एम.पी.सी.डी.एफ. के वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंध हो । निकट संबंधी होने से तात्पर्य उन संबंधों से हैं, जिनका वर्णन मध्यप्रदेश सहकारी समितियों नियम 1962 के नियम कमांक 44 तथा 45 में किया गया है, अथवा

(8) स्वयं के द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. अथवा किसी सहकारी सोसायटी के लिये गये किसी ऋण अथवा ऋणों के संबंध में 12 माह से अधिक समय तक एम.पी.सी.डी.एफ. या किसी अन्य संस्था के प्रति त्रुटि की है या करे ।

(9) कोई भी व्यक्ति, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त या संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नही होगा यदि उसकी दो से अधिक सन्तान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो।

(10) इस उपनियम में वर्णित किसी भी पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जावेगा यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् एक सन्तान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो जाती है।

(11) एम.पी.सी.डी.एफ. के पद पर निर्वाचित किया गया कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नहीं रह पायेगा जो किसी उधार/अग्रिम के लिए जो उसने लिया जो बारह माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिकमी रहता है।

(ब) एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रबंध संचालक का यह दायित्व होगा कि एम.पी.सी.डी. एफ. के किसी संचालक के उक्त उपविधि में दर्शाई गई अयोग्यता में से कोई अयोग्यता धारण करते ही उक्त तथ्य संचालक मण्डल की जानकारी में लायेगा तथा संचालक मण्डल द्वारा उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् 2 माह के भीतर संचालक मण्डल में पद धारण करने से अपात्र किया जावेगा । यदि एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा निर्धारित अवधि में यह कार्यवाही नहीं की जाती है, तो पंजीयक द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसा पद धारण करने के लिये लिखित आदेश द्वारा अपात्र घोषित किया जावेगा एवं संचालक मण्डल की आगामी बैठकों में संचालक की हैसियत से बुलाया जाना बन्द कर देगा ।

27.0 <u>संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

27.1 इन उपविधियों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुये भी संचालक मंडल को अधिनियम, नियम और इन उपविधियों एवं/अथवा कोई भी उपविधि जो एम.पी.सी. डी.एफ. द्वारा उपर्युक्त रीति से बनाई जावे, के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां, अधिकार प्राप्त होगें अर्थातः–

27.1.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के लिये ऐसे साम्पतिक अधिकार अथवा विशेषाधिकार, जिन्हें एम. पी.सी.डी.एफ. ऐसी कीमत पर और ऐसे निबंधनों और शर्तो पर अर्जित करने के लिये प्राधिकृत हो, खरीदने, पट्टे पर लेने या अन्य रूप से अर्जित करना।

27.1.2 पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिये प्राधिकृत करना।

27.1.3 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति, अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों या एम.पी.सी.डी.एफ. को दी गयी सेवाओं के लिये पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नगद रूप में अथवा एम.पी.सी.डी.एफ. के शेयरों, बंध–पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में भुगतान करना। ऐसे कोई भी अंश पूरी तरह समादत्त रूप में

जारी किये जा सकते हैं या उन पर ऐसी रकम जो करार पाई जाए, आकलित की जा सकती है, और ऐसे कोई बंध–पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां या तो विनिर्दिष्ट रूप में या एम.पी.सी.डी.एफ. की संपूर्ण सम्पत्ति पर अथवा उसके किसी अंश पर और उसकी अनाहूत पूंजी पर भारित किये जा सकेगें या इस प्रकार भारित नहीं भी किये जा सकेगें।

27.1.4 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा उसकी समस्त अथवा किसी सम्पत्ति और तत्समय प्रचलित उसके अनाहूत पूंजी के बंधक अथवा प्रभार द्वारा अथवा अन्य ऐसी रीति से जो उचित समझी जाय एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा किये गये अनुबंध या बचनबन्ध (इंगेजमेंट्स) को पूरा कराने को सुनिश्चित करना ।

27.1.5 अपने विवेकानुसार ऐसे प्रबंधकों, सचिवों (सेक्रेटरियों) अधिकारियों, लिपिकों अभिकर्ताओं और कर्मचारियों का स्थायी, अस्थायी अथवा विशेष सेवाओं के लिये जिन्हें कि वे समय–समय पर उपयुक्त समझें, नियुक्ति करना, सेवा से हटाना या निलंबित करना, उनकी शक्तियां तथा कर्तब्य निर्धारित करना और उनके वेतन तथा परिलब्धियां निश्चित करना तथा ऐसी रकमों की, जिन्हें वे ऐसे मामलों में उपयुक्त समझें प्रतिभूतियों की अपेक्षा करना । इस संबंध में आवश्यक सेवा नियम तथा अन्य विषय बनाना।

27.1.6 किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को एम.पी.सी.डी.एफ. की निधि का प्रबंध ट्रस्ट के रूप में करने तथा उनको इस संबंध में कार्य की शक्तियां देना ।

27.1.7 एम.पी.सी.डी.एफ. अथवा उसके अधिकारियों अथवा अन्यथा रूप से एम.पी.सी.डी.एफ. के मामलों से संबंधित मामलों में एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा या उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही संस्थित करने, चलाने, प्रतिबाद करने, समझौता करने अथवा त्यागने और साथ ही एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा या उसके विरूद्ध किन्ही दावों अथवा मांगों का समझौता करना। एम.पी.सी.डी.एफ. के पक्ष में या उसके विरूद्ध किन्ही भुगतानों अथवा क्लेम्स का निपटारा करने के लिये समय देना ।

27.1.8 एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दावों या मांगों को पंचनिर्णय के लिये भेजना तथा पंचनिर्णयों का अनुपालन तथा कार्य संपन्न करना ।

27.1.9 एम.पी.सी.डी.एफ. की देय धनराशि तथा उसके दावों और मांगों के लिये रसीदें मोचन (release) अथवा उन्मोचन (discharge) तैयार करना और देना ।

27.1.10 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से बिल, नोट, रसीद, प्रतिग्रहण, चैक, नियुक्तियां, अनुबंध तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिये किसी व्यक्ति या अधिकारी को प्राधिकृत करना ।

27.1.11 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से अटर्नी या अभिकर्ता को नियुक्त करना तथा उनका अधिकार क्षेत्र तय करना और उनकी नियुक्ति संबंधी अन्य आवश्यक शर्तें तय करना।

27.1.12 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से शासन द्वारा अनुमोदित संस्थानों या प्रतिभूतियों में विनियोजन करना, समय–समय पर उसमें आवश्यक फेरबदल (vary) करना और मोचन (release) करना ।

27.1.13 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से तथा एम.पी.सी.डी.एफ. के नाम से किसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति के पक्ष में जो एम.पी.सी.डी.एफ. के हित में कोई व्यक्तिगत दायित्व उठा चुका हो या उठाने वाला हो एम.पी.सी.डी.एफ. की सम्पत्ति (वर्तमान तथा भावी) ऐसा कोई बंधक निष्पादित करना। ऐसे बंधक में विकय की शक्ति तथा अन्य ऐसी शक्तियां, प्रसंविदा तथा उपबंध सम्मिलित होगें जिसे वे उचित समझे ।

27.1.14 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यावसायिक लेन–देन पर हुये लाभ में कमीशन देना या एम.पी.सी.डी.एफ. के सामान्य लाभ में कोई अंश देना। लाभ में दिये गये ऐसे कमीशन या अंश एम.पी.सी.डी.एफ. के कामकाज संबंधी व्यय का एक हिस्सा माने जायेगें ।

27.1.15 समय–समय पर एम.पी.सी.डी.एफ. तथा उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये कोई भी नियम बनाना । उनमें फेर बदल करना तथा उनको निरसित करना ।

27.1.16 एम.पी.सी.डी.एफ. के किसी कर्मचारी या उसकी विधवा, बच्चों अथवा आश्रितों के ऐसे क्लेम्स, पेंशन, उपदान अथवा प्रतिकर जो भी संचालक मण्डल को उचित अथवा न्यायसंगत प्रतीत हो, देना प्रदान करना या इसकी अनुमति देना । भले ही ऐसे कर्मचारी, उसकी विधवा, उसके बच्चों अथवा आश्रितों का एम.पी.सी.डी.एफ. पर ऐसा कोई दावा बनता हो अथवा नही ।

27.1.17 लाभांश घोषित करने के पूर्व ऐसी पेंशनों, उपदानों अथवा प्रतिकर की व्यवस्था करना या ऐसी रीति में जिसे संचालक मण्डल उपयुक्त समझे तथा भविष्य निधि अथवा हितकारी निधि का निर्माण करने के लिये एम.पी.सी.डी.एफ. के लाभ का ऐसा हिस्सा जिसे वे उचित समझें, अलग रखना ।

27.1.18 एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रयोजनों के लिये किसी भी संबंध में, जिन्हें वे आवश्यक समझे एम.पी.सी.डी.एफ. के नाम से तथा उसकी ओर से बातचीत या अनुबंधों में भाग लेना और ऐसे सभी अनुबंधों का विखंडित करना और उनमें फेरबदल करना तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य और विलेख सम्पादित करना ।

27.1.19 अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्रावधानों के अधीन तत्समय उनमें निहित पूर्ण या आंशिक शक्तियों, प्राधिकार या विवेक का प्रत्यायोजन करना ।

27.1.20 अंश एवं सदस्यता हेतु आवेदनों का निराकरण करना ।

27.1.21 अंश हस्तांतरण तथा सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार कर निराकरण करना ।

27.1.22 वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय पत्रक, आगामी वर्ष का बजट व कार्य योजना स्वीकृत करना एवं साधारण सभा में पेश करना ।

27.1.23 अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा मुनाफा वितरण पर विचार करना व साधारण सभा को पेश करना ।

27.1.24 सदस्य दुग्ध संघों से एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रशासनिक/स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सीमा एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना ।

27.1.25 एमपीसीडीएफ के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से रखी जाएगी।

28.0 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यापार के समुचित संचालन के लिये अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप सहायक नियम बनाना ।

29.0 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यापार संचालन के लिये एक सामान्य मोहर रखने का अधिकार संचालक मंडल को होगा जो कि संचालक मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रबंध संचालक को छोडकर अन्य किसी के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जावेगी। प्रत्येक ऐसे विशेष दस्तावेज पर जिस पर यह मोहर लगाई जावेगी, व्यवस्थापक और प्रबंध संचालक अथवा अध्यक्ष (जैसा भी संचालक मण्डल द्वारा तय किया जावे) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जावेंगे ।

29.1 अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाना ।

30.0 <u>प्रबंध संचालक</u>

30.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यवसाय के प्रबंध हेतु राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जावेगी ।

30.2 एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक उसका प्रमुख कार्यकारी होगा और संचालक मंडल के नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा ।

30.3 प्रबंध संचालक को संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर जो भी अधिकार प्रदत्त किये जावेंगे, उनके अनुरूप वह एम.पी.सी.डी.एफ. का व्यवसाय एवं कार्य सम्पादित करेगा। यदि प्रबंध संचालक चाहे तो उन्हें संचालक मंडल द्वारा सौंपे गये अधिकारों को अपने अधिनस्थ अधिकारियों को सौंप सकेगा। किन्तु प्रबंध संचालक द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों को सौंपे गये/प्रदत्त किये गये अधिकारों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी संचालक मंडल को आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी ।

31.0 एम.पी.सी.डी.एफ. सम्बद्ध दुग्ध संघों से जो दूध एवं वस्तुयें क्रय करेगा व मूल्य भुगतान करेगा वह तदर्थ भुगतान होगा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक (अंतिम) मूल्य भुगतान की घोषणा करेगा। एम.पी.सी.डी.एफ. सम्बद्ध दुग्ध संघों को तदर्थ व घोषित वास्तविक (अंतिम) मूल्य भुगतान के अंतर को, यदि कोई हो तो, रिबेट के रूप में देना चाहे तो दे सकेगा ऐसी राशियों को प्राप्तकर्ता दुग्ध संघ द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार उसकी निधियों में जमा किया जावेगा।

31.1 सचिव – संघ में प्रबंध संचालक की सहायता हेतु सचिव की नियुक्ति पंजीयक द्वारा सहकारिता विभाग के प्रथम श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से की जावेगी। सचिव प्रबंध संचालक के सामान्य नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करेंगे तथा प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति में वे प्रबंध संचालक का कार्य भी देखेंगे।

32.0 लाभ का वितरण

32.1 वार्षिक साधारण सभा में शुद्ध लाभ का वितरण निम्न प्रकार से होगा :–

32.1.1 25% रक्षित निधि में ले जाया जायेगा।

32.1.2 सहकारी संस्थायें अधिनियम में चाहे गये अनुसार राज्य सहकारी संघ की शिक्षा निधि में योगदान करना।

32.1.3 प्रदत्त अंशपूंजी पर लाभांश के रूप में 6.5% तथा पंजीयक की अनुमति से 9% तक लाभांश वितरित किया जावेगा ।

32.1.4 उपरोक्त प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ की अन्य आवश्यक कोषों में धनराशि ले जाने के पश्चात, शेष बची राशि को सामान्य निधि में ले जाया जावेगा तथा उसका उपयोग साधारण सभा के निर्णयानुसार सम्बद्ध दुग्ध संघों को उनके द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. से वस्तुओं के किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुपात में बोनस के रूप में अथवा उनके सदस्यों के वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, कृषि विकास व अनुसंधान एवं विकास कार्य में उपयोग किया जावेगा ।

33.0 अत्यावश्यकता की स्थिति में, किसी खास निर्णय का संचालक मण्डल की बैठक आयोजित होने तक रोका जाना संभव न हो तो ऐसा निर्णय संचालक मण्डल के सभी सदस्यों में भ्रमणशील (सरक्युलेटिंग) प्रस्ताव के द्वारा लिया जावेगा तथा अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं समुचित रूप से हस्ताक्षरित ऐसा प्रस्ताव वैसा ही प्रभावकारी एवं बंधनकारी होगा जैसे कि प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में ही पारित किया गया हो।

34.0 रक्षित निधि :

उपविधि कमांक 32.1 में वर्णित राशि के अतिरिक्त सभी प्रवेश शुल्क, दान (किंतु विशिष्ट उद्देश्य के प्रयोजन से प्राप्त दान को छोड़कर) अंशों के आय धन से प्राप्त राशि एवं दण्ड शुल्क (किन्तु कर्मचारियों से प्राप्त दण्ड शुल्क को छोड़कर), की राशि रक्षित निधि में ले जायी जायेगी।

35.0 लेखा एवं अभिलेख

एम.पी.सी.डी.एफ. का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। लेखा पुस्तके एवं अन्य अभिलेख नियमों द्वारा विहित एवं पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से रखे जावेगें।

36.0 सदस्य संघों की उपविधियों में किन्ही धाराओं के न होने पर अथवा परस्पर विरोधिता अथवा प्रतिकूलता की स्थिति में अधिनियम एवं नियमों के अधीन एम.पी. सी.डी.एफ. की उपविधियां अभिभावी (प्रचलित) होंगी ।

37.0 साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के बिना इन उपविधियों में कोई परिवर्तन अथवा निरसन नहीं किया जावेगा और न ही कोई परिवर्धन किया जावेगा। साधारण सभा को दिये जाने वाले सूचना–पत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा ऐसा संशोधन तब तक प्रभावशील नही होगा जब तक कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित न कर लिया गया हो ।

38.0 ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेश की, जो अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक पत्र द्वारा या किसी सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति के निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी।

38.1 संचालक मंडल की बैठक से संबंधित सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक और/या उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात व्यक्तिशः परिदत्त करके जारी की जाएगी।

39.0 एम.पी.सी.डी.एफ. अपने किसी अधिकारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करेगा कि वह अभिलेख, रजिस्टर, लेखा पुस्तकें बनाए रखे और रजिस्ट्रार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर विवरणियाँ प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, अर्थातः ।

39.1 कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, ।

39.2 लेखाओं के संपरीक्षित विवरण, ।

39.3 साधारण सभा द्वारा यथा अनुमोदित, अतिशेष व्ययन (Disposal) के लिए प्लान, ।

39.4 उपविधियों की सूची यदि कोई हो, ।

39.5 साधारण सभा आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो।

39.6 अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

40.0 निर्वाचन व्ययः

एमपीसीडीएफ के निर्वाचन कराने के लिए समस्त व्यय एमपीसीडीएफ द्वारा वहन किये जाएंगे। एमपीसीडीएफ द्वारा निर्वाचन संचालित कराने के लिये लिखित अनुरोध के साथ निर्देशानुसार प्रकिया शुल्क प्राधिकारी के खाते में जमा कराया जाएगा तथा जमा न कराने की दशा में प्राधिकारी द्वारा सरकारी शोध्य के समान वसूल की जा सकेगी।

41.0 एमपीसीडीएफ रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा कराई जाएगी तथा उस संपरीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा जो विहित किया जाए।

41.1 एमपीसीडीएफ के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र संपरीक्षक तथा संपरीक्षा फर्म की न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव ऐसा होगा जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए।

41.2 एमपीसीडीएफ के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के छह मास के भीतर कराई जाएगी।

41.3 एमपीसीडीएफ के लेखाओं का विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उनमें कोई फर्क अनियमितता या गबन है तो रजिस्ट्रार अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगा अथवा उन्हें सुधारने के लिये वापस कर सकेगा अथवा लेखाओं की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा।

सही/
पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल

महाप्रबंधक (समन्वय)
एम. पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि,
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज,
भोपाल-462024

अनुमोदित

प्रबन्ध संचालक
एम पी सी डी एफ
भोपाल

BYL-I